न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
43/2019	धारा 212 RTA	05.08.2019	30.01.2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
2. उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थी सं0 1 के नाम से एकल खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि अप्रार्थी खातेदार को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यों या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि समतल का ग्रेवल रोड़ बिछाकर प्लॉटिंग करते हुए भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु प्लॉटिंग व मकान निर्माण किया जाकर भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कतई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण राज्य पक्ष में बनता है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारों ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ऐसा नहीं करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद निर्माण कार्य करने से नहीं रूका है व भूमि की पूर्णतः प्रकृति बदलने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मद संख्या 3 व 4 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं अप्रार्थी उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 को बेदखल करने व उक्त भूमि को सिवाय चक राजकीय घोषित करने हेतु प्रार्थी ने वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी राज्य सरकार के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि पर ता फैसला वाद अप्रार्थी को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवं किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार के आवासीय प्लॉट का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं करने, पंजीबद्ध नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण की आवश्यक प्रकृति के मध्यनजर पैरोकार राज प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रर्थी के पक्ष का प्रतीत होने से दिनांक 05.08.2019 को अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.19 तक बनाये रखने का जारी किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रघुनन्दन सोनी एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 व 2 स्वीकार की जाती हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 पूणतया गलत व विद्वेषपूर्ण मनगढ़न्त तथ्यों, प्रार्थी ने पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र प्रार्थी खातेदार को खर्चे व मानसिक रूप से परेशान करने की नियति से लिखी जाने से पूर्णतया अस्वीकार की जाती है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में प्रार्थी द्वारा पत्रावली में उपस्थित तथ्यों पटवारी हल्का खासोली की रिपोर्ट को बिना पढ़े, समझे मात्र मनगढन्त तथ्यों को कार्यालय में बैठे बैठे आधार बनाकर वाद पत्र की बिनाय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो न केवल विधि द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है अपितु सिरे से खारिज किये जाने योग्य होने से मद को पूर्ण रूप से अस्वीकार की जाती है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 को मद संख्या 3 व 4 को आधार बनाकर लिखी गई है एवं उसी के आधार पर अप्रार्थी खातेदार को उसके खातेदारी के अधिकारों के अवसान करवाने हेतु अंकित की गई है, जो पूर्ण रूप से गलत व मनगढन्त तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश मद व अनुतोष भाग पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 ने विशेष कथन में अंकित किया कि भू–धारक तहसीलदार, चूरू द्वारा विधि के विरचित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में भू–धारक तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1)(5) आरटी एक्ट के अधीन प्रस्तुत किया है। इस प्रकृति के वाद व प्रार्थना पत्र को श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिकृत तहसीलदार खातेदार को कृषि भूमि में कृषि के नियमों के विरूद्ध ऐसा कोई कार्य किया जाता है, जबकि किसी भी खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों से निष्कासित किये जाने से पूर्व भूमिधारी समुचित रूप से इस बाबत आक्षेप के साथ नोटिस देकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। लेकिन भू–धारक द्वारा बाला–बाला मात्र प्रार्थी को तंग व परेशान करने तथा खर्चे से जेरबार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया जो कतई विधि के विरूद्ध है। ऐसी कार्यवाही करने हेतु विधि कतई अनुज्ञा प्रदान नहीं करती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी एक कारोबारी व्यक्ति है, जिसका व्यापार राजस्थान प्रान्त से बाहर है, इस सम्बन्ध में वैमनस्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चूरू के यहां एक झूठी शिकायत खातेदार के विरूद्ध कि उसके द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1139/922 रकबा रामसरा में ग्रेवल रोड़

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बिछाकर प्लाटिंग करना व मकान का निर्माण करवाया जाना लिखकर पेश किया, जिस शिकायती प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चूरू ने भू–धारक तहसीलदार को जांच हेतु कार्यालय पत्रांक सतर्कता/2019/1503–05 दिनांक 30.07.2019 से वस्तुस्थिति हेतु प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट पर भू–धारक तहसीलदार चूरू ने पटवारी हल्का खांसोली से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर पत्रावली पर उपस्थित उक्त मौका को रिपोर्ट को बिना पढ़े व अपना विवेक का इस्तेमाल किये पटवारी हल्का खासोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.08.2019 को बिना अवलोकन किये, प्रीज्यूडिस होकर सीधे 177 सपठित धारा 63 (1)(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही हेतु प्रकरण को तैयार करने के आदेश दिनांक 01.08.2019 को प्रदान कर दिये जबकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट 02.082019 को प्रस्तुत की गई थी। इससे यह साफ है कि भू–धारक तहसीलदार चूरू ने दुर्भावानावश जानबूझकर तथ्यों, परिस्थिति तथा कानून को दरकिनार कर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि अवसान करने की स्थिति में पेश किया है जो हर लिहाज से काबिले अखराजी के है। यह कि किसी भी अस्थाई व्यादेश को पारित किये जाने के लिये कानून में सिद्धान्त स्थापित करते हैं, जिसके अनुसार अस्थाई व्यादेश देना या ना देना तीन स्थापित सिद्धान्तों पर निर्भर करता है– (क) क्या प्रार्थी ने प्राथमिक दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है। (ख) क्या सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में है। (ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। ये तीनों शर्तें संयुक्त रूप से पूरी होने पर ही प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी किया जाता है। अतः अस्थाई व्यादेश की प्राप्ति की मांग हेतु प्रार्थी को उपरोक्त तीनों घटकों को न्यायालय के समक्ष साबित करना होता है, तत्पश्चात् ही अस्थाई व्यादेश जारी किये जा सकते हैं। लेकिन भू–धारक तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में अस्थाई व्यादेश की मांग हेतु न तो कोई तथ्य प्रस्तुत किये, जिससे पत्रावली पर प्रार्थी भू–धारक द्वारा यह साबित किया जा सके कि उसको वाद हेतु प्राईमा–फेसी प्राप्त है, और सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः कानून के निर्वचन के अनुसार जब व्यादेश हेतु इन तथ्यों पर न्यायालय से मांग ही नहीं की जाती तो वे न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले अखराजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी शक्तिसिंह की खातेदारी की है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि का बिना व्यावसायिक संपरिवर्तन कराये अप्रार्थी सं. 1 ने प्लॉटिंग कर आवासीय व दुकानों के प्लॉट विक्रय करना शुरू कर रखा है जिसकी पुष्टि अप्रार्थी द्वारा कतिपय लोगों को करवाये गये विक्रय पत्रों से होती है जिनके साथ प्लॉटिंग का साईट प्लान संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ले रहा है तथा छोटे प्लॉट काट कर कृषि भूमि की प्रकृति परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उक्त भूमि का संपरिवर्तन भी नहीं कराया गया है। अप्रार्थी ने उक्त कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति भी प्राप्त नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा बिना संपरविर्तन कराये वादगत कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में लेकर भूमि की कृषि प्रकृति बदल दी है जिससे राज्य सरकार को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है। वादगत कृषि भूमि की भूमि धारक राज्य सरकार होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। पैरोकार राज ने बहस के समय अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों के विक्रय पत्रों मय नक्शा साईट प्लान भी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस एवं जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी ने कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकारों के तहत ही केवल उक्त भूमि का समतलीकरण कार्य किया है। पटवारी हल्का खासोली द्वारा तैयार रिपोर्ट में भी प्लॉटिंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के साथ वैमनस्यता रखने वाले व्यक्तियों के कहने के अनुसार मात्र कयास के आधार पर बिना किसी विधिक आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सिरे से खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 वादगत कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिससे रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ मात्र कयास के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश करते समय विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना नहीं की है जिससे प्रस्तुत दस्तावेज भी पढे जाने योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में सूची के संलग्न प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 से 2076 व नकल नक्शा खसरा नम्बर 1139/922 ग्राम रामसरा एवं न्यायिक दृष्टान्त (2016) Sup CivCC 124 : (2016) 2 WLC (Raj) UC 496 व राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय 11 की प्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2071 ग्राम रामसरा के ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1 शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह खातेदार दर्ज हैं। रिपोर्ट पटवारी हल्का खासोली दिनांक 02.08.19 में अंकित है कि रोही मौजा रामसरा के खेत खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी खातेदार शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रामसरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं0 1139/922 का मौका देखने पर पाया कि उक्त कृषि भूमि का मौके पर मिट्टी डालकर समतलीकरण का कार्य किया गया है। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा यह भूमि सफेद व खाली है। मौके पर दो पट्टी रोपी गई है। बैनामा दिनांक 14.03.2019 के अनुसार विक्रेता खातेदार शक्तिसिंह ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से भूखण्ड संख्या 9 व 10 की 12 गुणा 25 फीट कुल 600 वर्गफीट प्रत्येक की अखरे रूपया 1,56000/– में केता श्रीमती सुरेशकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासिनी ग्राम ढाणा पट्टा राजपुरा एवं बैनामा दिनांक 08.05.2019 के अनुसार अप्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 13 व 14 की 12 गुणा 25 फीट कुल 600 वर्गफीट प्रत्येक की अखरे रूपया 1,43000/– में केता श्रीमती आनन्दकंवर पत्नी कर्णपालसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड संख्या 13, अग्रसेन नगर, चूरू को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हैं। वादगत भूमि के साईट प्लान नक्शा का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त कृषि भूमि एन.एच. 52 पर स्थित है जिसमें कुल 44 प्लॉट दर्शित हैं तथा बीच में खुला चौक एवं तीन अन्य भूखण्ड दर्शित हैं। अप्रार्थी द्वारा पेश खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2071 से 2075 में काश्त दर्ज है जबकि सम्वत् 2076 में कोई काश्त दर्ज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, चूरू

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 खातेदार द्वारा बिना अनुमति ...

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा अप्रार्थी सं. 1 की एकल खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये व बिना विधिवत पूर्वानुमति के भूमि का समतलीकरण कर प्लॉट काटकर विक्रय करने पर तहसीलदार, चूरू द्वारा उसके खिलाफ धारा 177 व 212 आर.टी.ए. के तहत दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्लॉटिंग के तथ्यों से इन्कार करते हुए बिना किसी आधार एवं बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये मात्र कयास के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने निवेदन किया है जिसका आधार उसने पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने को बताया है। हालांकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भूमि सफेद व खाली बताई गई है परन्तु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बैनामों एवं साईट प्लान से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि के कुल 44 प्लॉट काटे गये हैं तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त प्लॉटों का विक्रय अन्य लोगों को निरन्तर किया जा रहा है जबकि भूमि का कोई संपरवितर्न नहीं कराया गया है। उक्त भूमि के छोटे छोटे प्लॉट काट कर विक्रय किये जाने से भूमि की कृषि प्रकृति को नष्ट किया जाना परिलक्षित होता है। बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय व वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्लॉटिंग करने से राजस्थान सरकार को राजस्व हानि होना भी जाहिर होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076 के अनुसार भी यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत कृषि भूमि की भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनता है। उक्त कृषि भूमि पर खातेदार द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के विपरीत कार्य करने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित नहीं किया जाता है तो वह उक्त कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को परिवर्तित कर छोटे छोटे प्लॉटों के जरिये बिना संपरिवर्तन कराये विक्रय कर देगा जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि होगी इसलिए अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (2016) Sup CivCC 124 : (2016) 2 WLC (Raj) UC 496 व राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय 11 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जो इस प्रकरण पर सटीक रूप से चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा तहसील चूरू के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 05.08.2019 को ता फैसला दावा पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार, चूरू उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी सं. 1 व 2 को वादगत कृषि भूमि का विक्रय एवं विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करने हेतु पाबन्द किया किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

प्रार्थना पत्र को मद संख्या 1 में

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

क्रमांक : राजस्व/2019/1588 दिनांकः— 05.08.201

प्रार्थना पत्र संख्या :43/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
2. उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अन्तरिम स्थगन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1139/922 तादादी 0.2023 हैक्टेयर रोही रामसरा तहसील चूरू के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2019 को उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू